भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *394

जिसका उत्तर 19.03.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं

*394. श्री जगदीश चंद्रा बर्मा बसुनिया:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दर्ज की गई दुर्घटनाओं और मृत्यु के मामलों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार ऐसे कितने मामले सामने आए हैं जिनमें दुर्घटनाओं और मृत्यु के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को उत्तरदायी ठहराया गया है; और

(ग) वर्ष 2014 से ऐसी दुर्घटनाओं और मृत्यु के मामलों के लिए एनएचएआई द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं" के संबंध में श्री जगदीश चंद्रा बर्मा बसुनिया द्वारा पूछे गए दिनांक 19.03.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *394 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर "भारत में सड़क दुर्घटनाएं" पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएं कई कारणों से घटित होती हैं और विभिन्न कारकों के पारस्परिक प्रभाव का परिणाम होती हैं। इन्हें मोटे तौर पर (i) मानवीय त्रुटि, (ii) सड़क / पर्यावरण की स्थिति और (iii) वाहन की दशा में वर्गीकृत किया जा सकता है।

वर्ष 2014 से 2024 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई कुल सड़क दुर्घटनाओं और मौतों का राज्य-वार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) केंद्र सरकार को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 161 के अनुसार, हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप व्यक्ति की मौत या गंभीर चोट के मामलों में मुआवजा प्रदान करना अनिवार्य है। तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित मुआवजा योजना, 2022 अधिसूचित की गई है और इसे सा.का.नि.163 (अ) के माध्यम से हिट एंड रन मोटर दुर्घटना मुआवजा योजना 2022 के तहत दिनांक 01.04.2022 से कार्यान्वित किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

इस योजना के तहत, मौत होने पर 2 लाख रुपये और गंभीर चोट लगने पर 50,000 रुपये की नियत राशि प्रदान की जानी है। योजना में निर्धारित समयबद्ध प्रक्रिया के अनुसार दावेदारों को मुआवजा प्रदान किया जाना आवश्यक है। दावा जांच अधिकारी (अधिसूचना साकानि 163(अ) के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा) को दावा प्राप्त होने के 1 माह के भीतर अपने निर्णय के बारे में सूचित करना होता है, जिसके बाद दावा निपटान अधिकारी को दावों को स्वीकृत करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद, सामान्य बीमा परिषद (जीआई काउंसिल) द्वारा 15 दिनों की अवधि के भीतर मुआवजे की राशि के अंतरण की प्रक्रिया की जानी होगी।

सामान्य बीमा परिषद (जीआईसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 (28.02.2026 तक) तक सभी श्रेणियों की सड़कों (राष्ट्रीय राजमार्ग सहित) पर हुई सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित मुआवजा योजना, 2022 के तहत भुगतान किए गए मुआवजे का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	व्यय (करोड़ रु. में)
2022-23	1.78
2023-24	50.81
2024-25	84.06
2025-26 (दिसंबर तक)	97.73

अनुलग्नक-I

"राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं" के संबंध में श्री जगदीश चंद्रा बर्मा बसुनिया द्वारा पूछे गए दिनांक 19 .03.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *394 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या												
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	आंध्र प्रदेश	8799	8477	8171	8544	8122	7682	7167	8241	8650	8276	8258
2	अरुणाचल प्रदेश	88	113	95	88	89	95	67	147	131	156	145
3	असम	3639	3353	3478	3274	3963	3988	2963	3408	3244	3427	3766
4	बिहार	3708	3227	3138	3883	4016	4526	4101	4349	4601	4925	4681
5	छत्तीसगढ़	3330	4058	4042	3701	3995	3811	3463	3610	4115	4144	4156
6	गोवा	1687	1784	1438	1470	1425	1244	787	1116	1259	1125	920
7	गुजरात	5038	4897	4617	4333	3997	3511	3234	3406	3536	3607	3519
8	हरियाणा	3290	3509	3818	3785	4358	3442	3039	3174	3727	3642	3844
9	हिमाचल प्रदेश	1242	1211	1475	1460	1455	1396	1045	1179	1258	1074	1018
10	झारखंड	1368	2007	1935	1828	1616	2074	1772	1890	2125	1994	2039
11	कर्नाटक	13827	12705	14933	14217	13638	13363	11230	11462	13384	14270	14208
12	केरल	9006	9442	9209	8993	9161	9459	6594	8048	17627	10640	9757
13	मध्य प्रदेश	12726	11988	10709	11150	9967	10440	9866	11030	13860	14561	13937
14	महाराष्ट्र	10788	10839	10364	9237	9355	8360	6501	7501	9417	10881	11285
15	मणिपुर	431	404	325	372	329	395	273	236	313	272	210
16	मेघालय	270	322	338	338	118	325	128	153	157	114	135
17	मिजोरम	55	29	46	38	23	21	25	29	77	57	69
18	नागालैंड	164	34	57	341	244	235	309	488	304	201	86
19	ओडिशा	3880	4480	4214	4487	4207	4148	3673	4087	4317	4587	4555
20	पंजाब	1791	2092	2114	2533	2821	2423	2032	2288	2293	2388	1912
21	राजस्थान	6991	6821	6567	6851	6726	6883	5764	6424	7093	7179	7174
22	सिक्किम	105	117	90	83	64	59	37	73	74	83	56
23	तमिलनाडु	20109	21902	22573	22357	22961	21489	18372	16869	18972	20582	20672
24	तेलंगाना	4945	5649	6166	6211	6487	7352	6820	7214	7505	8103	8599

25	त्रिपुरा	230	230	203	221	188	248	184	199	241	255	242
26	उत्तराखंड	669	728	842	908	816	662	524	711	827	840	828
27	उत्तर प्रदेश	11157	13802	13078	14333	16198	16181	13695	14540	14990	15184	17113
28	पश्चिम बंगाल*	4895	4288	4468	4177	4071	3547	3354	3821	3993	3841	4172
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	69	96	90	60	93	71	42	41	43	39	52
30	चंडीगढ़	36	45	47	33	46	36	15	29	29	11	13
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	2
32	दमन और दीव#	0	6	0	9	0	0					
33	दिल्ली	976	897	723	755	783	857	460	457	799	745	593
34	जम्मू और कश्मीर	2040	1953	2122	2139	2118	2081	1512	1899	2378	2342	2120
35	लद्दाख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	119	196	132	191
36	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	पुदुचेरी	554	763	874	937	771	653	567	587	448	497	631
कुल		**137903**	**142268**	**142359**	**143146**	**144221**	**141057**	**119615**	**128825**	**151997**	**150177**	**150958**

टिप्पण : 1. #दमन और दीव का डेटा 2020 से दादरा और नगर हवेली में शामिल किया गया है।

2. पश्चिम बंगाल के लिए कैलेंडर वर्ष 2015 से 2017, 2019 और 2020 तथा तमिलनाडु के लिए कैलेंडर वर्ष 2017 से 2020 तक के डेटा का मिलान किया गया है।

3. *पश्चिम बंगाल के लिए वर्ष 2024 के आंकड़े राज्य पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2023 के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और वर्ष 2024 के लिए राज्य के कुल ई-डीएआर आंकड़ों के आधार पर पुन: तैयार किए गए हैं।

अनुलग्नक-II

"राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं" के संबंध में श्री जगदीश चंद्रा बर्मा बसुनिया द्वारा पूछे गए दिनांक 19 .03.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *394 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की कुल संख्या												
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	आंध्र प्रदेश	2970	3235	3006	2898	2929	3114	2858	3602	3793	3806	4014
2	अरुणाचल प्रदेश	52	49	58	41	56	54	32	87	73	88	96
3	असम	1392	1427	1295	1464	1541	1690	1322	1574	1428	1564	1722
4	बिहार	2013	2002	2014	2540	3051	3436	3285	3517	3953	4078	4012
5	छत्तीसगढ़	1118	1201	1181	1152	1384	1421	1390	1663	1885	1910	1952
6	गोवा	108	132	113	118	104	107	61	83	127	102	108
7	गुजरात	2149	2136	2141	2145	2171	1898	1797	2077	2109	2233	2192
8	हरियाणा	1704	1759	1845	1990	2088	1901	1663	1766	2038	2033	2052
9	हिमाचल प्रदेश	389	369	478	528	470	487	314	425	443	365	312
10	झारखंड	669	1325	1222	1250	1122	1554	1241	1496	1699	1672	1686
11	कर्नाटक	4256	3657	4116	3792	3986	3842	3330	3487	4164	4383	4278
12	केरल	1261	1368	1263	1309	1248	1259	887	975	1197	1056	940
13	मध्य प्रदेश	2395	2287	2564	2521	2601	2904	3022	3389	4025	4476	4644
14	महाराष्ट्र	3577	3789	3887	3637	4088	3799	3528	4080	4923	5780	5812
15	मणिपुर	100	94	46	97	88	111	90	77	74	51	49
16	मेघालय	93	89	108	111	73	89	81	112	98	78	102
17	मिजोरम	40	20	45	29	15	19	20	23	72	47	66
18	नागालैंड	35	10	35	27	12	18	29	25	55	60	37
19	ओडिशा	1641	1795	1812	2123	1999	2000	1781	1933	2043	2180	2358

20	**पंजाब**	1482	1538	1495	1891	2085	1693	1492	1950	1881	1895	1562
21	**राजस्थान**	3598	3709	3737	4066	3874	3870	3320	3829	4156	4172	4285
22	**सिक्किम**	33	37	39	30	31	29	14	23	27	24	24
23	**तमिलनाडु**	5344	5752	6255	6496	6756	6661	5454	5263	5978	6258	6376
24	**तेलंगाना**	1895	2103	2173	1954	2064	2491	2620	2735	3010	3058	3066
25	**त्रिपुरा**	74	50	68	70	77	106	78	94	105	129	114
26	**उत्तराखंड**	479	464	503	584	631	428	365	430	545	564	543
27	**उत्तर प्रदेश**	5827	7773	7469	7946	8818	8830	7859	8506	8479	8446	9560
28	**पश्चिम बंगाल***	2152	2243	2304	2146	2150	2012	1826	2177	2017	1957	2113
29	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	7	4	7	7	8	7	8	5	11	6	14
30	**चंडीगढ़**	21	19	24	16	16	13	6	21	9	4	3
31	**दादरा और नगर हवेली**	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	1
32	**दमन और दीव#**	0	5	0	5	0	0	-	-	-	-	-
33	**दिल्ली**	253	260	238	267	263	278	149	201	252	230	258
34	**जम्मू और कश्मीर**	452	357	403	409	400	384	258	268	259	294	271
35	**लद्दाख**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	27	30	37	45
36	**लक्षद्वीप**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**पुदुचेरी**	70	146	131	137	111	82	71	87	71	74	105
कुल		**47649**	**51204**	**52075**	**53796**	**56310**	**56587**	**50251**	**56007**	**61038**	**63112**	**64772**

टिप्पण: 1. दमन और दीव का डेटा 2020 से दादरा और नगर हवेली में शामिल किया गया है।

2. पश्चिम बंगाल के लिए कैलेंडर वर्ष 2015 से 2017, 2019 और 2020 तथा तमिलनाडु के लिए कैलेंडर वर्ष 2017 से 2020 तक के डेटा का मिलान किया गया है।

3. *पश्चिम बंगाल के लिए वर्ष 2024 के आंकड़े राज्य पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2023 के लिए उपलब्ध कराए गए डेटा और वर्ष 2024 के लिए राज्य के कुल ई-डीएआर डेटा के आधार पर पुन: तैयार किए गए हैं।
